III/पुनर्स्थापन/सीधी/2017/2739

न्यायालय श्रीमान् म0प्र0 राज्य मंण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट कैम्प रीवा (म0प्र0)

Rs 10/-

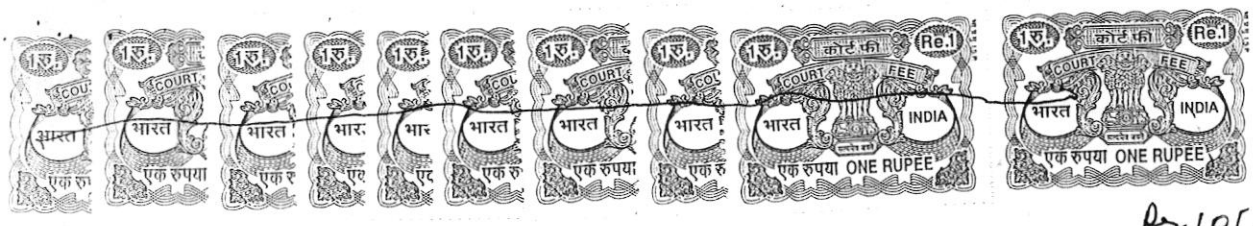

जनार्दन प्रसाद तिवारी तनय स्व0 शंभू प्रसाद तिवारी उम्र 48 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम मिसिरगवां कोठार तहसील गोपद बनास जिला सीधी (म0प्र0)

----आवेदकगण

अधि0 श्री देवेन्द्र प्रसाद द्विवेदी द्वारा पेश 21-8-17

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा

बनाम

रामकृष्ण तनय हरिहर प्रसाद वगैरह ----अनावेदकगण

निगरानी प्रकरण..........

निगरानी प्रकरण क्रमांक आर-5192।।/16 मे पारित आदेश दिनांक 21.03.17 को निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई मे लिए जाने बावत।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35(3) म.प्र.भू.रा.सं.

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित हैः-

1. यह कि उक्त उन्मान का निगरानी प्रकरण दिनांक 21.03.17 को माननीय न्यायालय के समक्ष नियत था, जिस प्रकरण को माननीय न्यायालय द्वारा नियत को अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया।
2. यह कि उक्त प्रकरण मे आवेदक/निगरानीकर्ता ने प्रकरण की पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्त कर रखा था, जिस पर अधिवक्ता महोदय द्वारा निगरानीकर्ता से यह कहा गया था कि आपको प्रत्येक पेशी मे आने की आवश्यकता नही है, मै प्रकरण की पैरवी करूंगा तथा जब आपकी

III | पुनर्स्थापन | सीधी | प्र.क्र. 2017 | 2739
जनार्दन प्र० त्रिपाठी – रामबहोरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-1-18 (103)	1- आवेदक की ओर से श्री देवेन्द्र प्रसाद शर्मा, एड० उप०। 2. वाहेत कायमी पर तर्क। C.F. 14-3-18 आज्ञा से,	N.F 14.3.18
14-3-18	1- आवेदक की ओर से श्री देवेन्द्र प्रसाद शर्मा एड उप०। आवेदक द्वारा यह आवेदन संहिता की धारा 35(3) के तहत प्रकरण क्रमांक R-S192-II/16 अदम पैरवी दिनांक 21-3-17 को पुनर्स्थापन हेतु प्रस्तुत किया गया है। पुनर्स्थापन पर सुना गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया। न्यायहित में आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण क्रमांक R-S192-दो/16 पुनः नम्बर में लिया जाता है। प्रकरण चालू किया जावे। 2- प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	रेस्टोर किया गया। N.F.